न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 229/2020

1. दारासिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।
2. अजीतसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:- वादीगण

ब ना म

1. रतनसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा। हाल वार्ड न0 22 नया वार्ड न0 30 भादरा त0 भादरा।
2. दर्शनादेवी पुत्री रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा। हाल निवासी बालसमन्द त0 बालसमन्द जिला हिसार।
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :- **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीतसिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेन्द्रसिंह जांगिड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 10 जेएसएल के खाता सं0 33/34 के मु0 न0 99 के किला न0 11/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 111 के किला न0 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 कुल 3.710है0 जिसमें 3.632है0 बारानी व 0.078है0 रास्ता खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 रतनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 दारासिंह, वादीगण सं0 2 अजीतसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19-3-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 229/2020

1. दारासिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।
2. अजीतसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. रतनसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा। हाल वार्ड न0 22 नया वार्ड न0 30 भादरा त0 भादरा।
2. दर्शनादेवी पुत्री रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास त0 भादरा। हाल निवासी बालसमन्द त0 बालसमन्द जिला हिसार।
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरजीत बिजारणियां : **वादीगण**

वकील श्री महेन्द्रसिह जांगिड : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 19-3-21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 10 जेएसएल के खाता सं0 33/34 के मु0 न0 99 के किला न0 11/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 111 के किला न0 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 कुल 3.710है0 जिसमें 3.632है0 बारानी व 0.078है0 रास्ता खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के मु0 न0 71 के किला न0 17 व 24, मु0 न0 76 किला न0 2 ता 4 कुल 1.265है0 नहरी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया [illegible] प्रतिवादी सं 3 को वकील वादी [illegible] स्टेट की ओर [illegible] वा पेश किया गया। [illegible] दर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं 4 [illegible] आवश्यकता नही प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने [illegible] है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:35 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु दारासिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम चक 10 जेएसएल के खाता सं0 33/34 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही चक 10 जेएसएल के खाता सं0 122/199 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 10 जेएसएल खाता सं0 168/112 प्रदर्श 3,

Scanned with CamScanner

दादालाई जमाबंदी प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सागड प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 10 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में रतनसिंह के दो पुत्र दारासिंह व अजीतसिंह व एक पुत्री दर्शना के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा चक 10 जेएसएल के मु0 न0 71 के किला न0 17 व 24, मु0 न0 76 किला न0 2 ता 4 कुल 1. 265है0 नहरी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है को प्रतिवादी सं0 1 रतनसिंह के नाम यथावत रखते हुए रोही चक 10 जेएसएल के खाता सं0 33/34 के मु0 न0 99 के किला न0 11/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 111 के किला न0 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 कुल 3.710है0 जिसमें 3.632है0 बारानी व 0. 078है0 रास्ता खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 रतनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 10 जेएसएल के खाता सं0 33/34 के मु0 न0 99 के किला न0 11/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मु0 न0 111 के किला न0 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 कुल 3.710है0 जिसमें 3. 632है0 बारानी व 0.078है0 रास्ता खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 रतनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 दारासिंह, वादीगण सं0 2 अजीतसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर [illegible] किया जावे। खर्चा वाद उभंय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:23:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19.2.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner